भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या. 324
(जिसका उत्तर मंगलवार, 1 अप्रैल, 2025 को दिया गया)

आईईपीएफए द्वारा अनुमोदित दावे

***324. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) द्वारा विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अनुमोदित दावों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) कुल 6000 करोड़ रुपये की राशि में से आईईपीएफए के पास कितनी राशि शेष है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान निवेशकों को वर्ष-वार कितने शेयर लौटाए गए हैं;
(ग) क्या यह सच है कि कंपनियां आईईपीएफए को दावा न किए गए शेयरों, लाभांशों तथा अन्य राशियों को नियमित रूप से हस्तांतरित नहीं कर रही हैं; और
(घ) यदि हां, तो कंपनियों से इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"आईईपीएफए द्वारा अनुमोदित दावे" के संबंध में 1 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *324 (9वीं स्थिति) के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए दावों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	**अनुमोदित दावों की कुल संख्या**
2021-22	10,472
2022-23	10,989
2023-24	16,985
2024-25 (15.03.2025 तक)	12,208

(ख): 2023-24 को समाप्त वर्ष के लिए, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण में निवल बकाया राशि 8107.81 करोड़ रूपये है। आईईपीएफए द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थानांतरित किये गए शेयरों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	**निवेशकों को वापस किए गए शयरों की कुल संख्या**
2021-22	61,21,291
2022-23	76,53,878
2023-24	1,10,42,765

(ग) और (घ): कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) और 124(6) के तहत लाभांश और शेयरों को क्रमश: निधि में स्थानातरित करना अपेक्षित है। कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) (ग) और (ज) से (ड) में यथा निर्दिष्ट अन्य राशियों का स्थानांतरण करना भी अपेक्षित है जिसमें निधि में स्थानांतरित कंपनियों के अप्रदत्त लाभांश खाते में राशि, किसी प्रतिभूति के आवंटन के लिए और रिफंड के लिए देय कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई आवेदन राशि, बैंकिंग कंपनियों के अतिरिक्त कंपनियों के पास परिपक्व जमाराशि, कंपनियों के पास परिपक्व डिबेंचर्स आदि शामिल हैं। प्राधिकरण उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करता है तथा गैर-अनुपालन के मामलों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(7) और धारा 450 के अधीन उचित कार्रवाई की जाती है।

******